निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38

27 भाद्र 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
18 सितम्बर 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-17
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-18
पूरक	---
पूरक-क	19-19

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

शिक्षा विभाग

————

अधिसूचनाएं

5 सितम्बर 2019

सं0 15/एम 1–06/2015/1994––विभागीय अधिसूचना संख्या 611 दिनांक 08.03.2019 द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिनियम की धारा–12 (a) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सभा (Court) गठन किया गया है। परिनियम की धारा–12 (a) (12) के प्रावधानानुसार बिहार विधान परिषद् सचिवालय के पत्रांक 361 दिनांक 01.03.2019 द्वारा मनोनीत निम्नांकित 02 माननीय सदस्यों को इस सभा (Court) में शामिल किया जाता है :–

सदस्यों का नाम	स्थायी पता	स्थानीय पता
डॉ0 रामवचन राय	ग्राम–जगन्नाथपुर, प्रखण्ड–गोरियाकोठी, जिला–सिवान।	7–एम0, स्ट्रैण्ड रोड, पटना
डॉ0 रणवीर नन्दन	अनिसाबाद बाईपास रोड, पोस्ट– अनिसाबाद, पटना	36, कांति मार्ग, पटना, 87/40 बेली रोड, पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

————

24 अगस्त 2019

विषयः–राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भारत सरकार के पेंशन पुनरीक्षण आदेश के आलोक में पुनरीक्षित करने के सहायतार्थ संकलित सारणियों को अधिसूचित करने के संबंध में।

सं0 15/एम 1–20/2018 (अंश–1)–1871––सांतवे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 1-1/2017-U.II दिनांक 11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों के पेंशन/परिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है।

2. भारत सरकार के उक्त पत्र तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या 2203 दिनांक 30.11.2018 द्वारा श्री सुनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 592 दिनांक 06.03.2019 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों /अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी राज्य सरकार का निर्णय पूर्व में संसूचित है।

3. उक्त संकल्प में वर्णित है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के लिए पेंशन निर्धारण हेतु प्रक्रियाओं के निरूपण तथा उसे पे मैट्रिक्स/सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने हेतु शिक्षा विभाग, वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक सारणी/पे मैट्रिक्स तथा यथा आवश्यक स्पष्टीकरण/उदाहरण संकलित कर अधिसूचित करेगा।

4. संकल्प में वर्णित उक्त निर्णय के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के सेवा निवृत/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के सहायतार्थ "ANNEXURE -A", "ANNEXURE -B", "ANNEXURE -C" एवं "ANNEXURE -D" के रूप में आवश्यक सारणी/उदाहरण संकलित कर अधिसूचित किए जा रहे है।

5. राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत/मृत शिक्षकों के पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण उपरोक्त सारणियों की सहायता से किया जा सकेगा।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार का आंकलन करते हुए विश्वविद्यालय विभाग में यथाशीघ्र प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा, जिसके समीक्षोपरांत सरकार उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुरूप राशि वित्त विभाग की सहमति से एक या एक से अधिक किस्तों में विमुक्त कर सकेगी।

7. विभागीय संकल्प संख्या 592 दिनांक 06.03.2019 में वर्णित कंडिका 11 एवं कंडिका 12 को क्रमशः कंडिका 10 एवं कंडिका 11 के रूप में संशोधित समझा जाए।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

ANNEXURE-A

Table Of Replacement Pay Scales/Levels Followed For Notional Pay Fixation At 01.01.2016

Table A-1

Existing Pay Scale From 01.01.1973 To 31.12.1985	Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.1986
500-20-700-25-900	1740-60-2700-60-3000
700-40-1100-50-1600	2200-75-2800-100-4000
1200-50-1300-60-1900	3700-125-4950-150-5700
	1.3.1989 to 3000-100-3500-125-5000
1500-60-1800-100-2000-125/2-2500	4500-150-5700-200-7300

Table A-2

Existing Pay Scale From 01.01.1986 To 31.12.1995	Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.1996
1740-60-2700-60-3000	5500-175-9000
2200-75-2800-100-4000	8000-275-13500
3700-125-4950-150-5700	12000-420-18300
1.3.89 to 3000-100-3500-125-5000	12000-420-18300
Lecturer (Sr. Scale)-3000-100-3500-125-5000	10000-325-15200
4500-150-5700-200-7300	16400-450-20900-500-22400

Table A-3

Existing Pay Scale From 01.01.1996 To 31.12.2005	Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.2006
8000-275-13500	15600-39100+A.G.P-6000
10000-325-15200	15600-39100+A.G.P-7000
12000-420-18300	15600-39100+A.G.P-8000
12000-420-18300	37400-67000+A.G.P-9000
16400-450-20900-500-22400	37400-67000+A.G.P-10000
12000-420-18300	37400-67000+A.G.P-10000

Table A-4

Existing Pay Scale From 01.01.2006 To 31.12.2015	Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.2016
15600-39100+A.G.P-6000	10
15600-39100+A.G.P-7000	11
15600-39100+A.G.P-8000	12
37400-67000+A.G.P-9000	13 A
37400-67000+A.G.P-10000	14

Annexure-B:- Example Of Notional Pay Fixation For The Period Of Retirement Between 01.01.2006 And 31.12.2015 As Per Formulation One/Two.

Example-1

Date Of Retirement

01.01.2006 To 31.12.2015	
Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.2006	Notional Pay Level W.E.F. 01.01.2016
15600-39100+A.G.P-6000	Pay level- 10

Basic Pay (A)	23950
A x 2.57	23950 x 2.57 =61551.5
Notional Basic Pay On 01.01.2016 (As Fixed From Pay Matrix Provided By Pay Commission)	63000

Example- 2

Date Of Retirement

01.01.2006 To 31.12.2015	
Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.2006	Notional Pay Level W.E.F. 01.01.2016
37400-67000+A.G.P-9000	Pay Level- 13 A
Basic Pay (A)	49890
A x 2.57	49890 x 2.57= 1,28,217.3
Notional Basic Pay On 01.01.2016 (As Fixed From Pay Matrix Provided By Pay Commission)	1,31,400

Example- 3

Date Of Retirement

01.01.2006 To 31.12.2015	
Notional Replacement Scale W.E.F. 01.01.2006	Notional Pay Level W.E.F. 01.01.2016
37400-67000+A.G.P-10000	14
Basic Pay (A)	54700
A x 2.57	54,700 x 2.57= 1,40,579
Notional Basic Pay On 01.01.2016 (As Fixed From Pay Matrix Provided By Pay Commission)	1,44,200

ANNEXURE-C

TABLE-I: A-I

PAY SCALE AT RETIREMENT (01-01-1973 TO 31-12-1985) **NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**

700-1600

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
700	57700
740	57700
780	57700
820	57700
860	57700
900	57700
940	57700
980	57700
1020	57700
1060	57700
1100	57700
1150	59400
1200	59400
1250	61200
1300	63000
1350	63000
1400	63000
1450	64900
1500	64900
1550	66800
1600	66800

ANNEXURE-C

TABLE-I: A-2

PAY SCALE AT RETIREMENT (01-01-1973 TO 31-12-1985) **NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**

1200-1900

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
1200	1,31,400
1250	1,31,400
1300	1,31,400
1360	1,31,400
1420	1,31,400
1480	1,31,400
1540	1,31,400
1600	1,31,400
1660	1,31,400
1720	1,31,400
1780	1,31,400
1840	1,31,400
1900	1,31,400

ANNEXURE-C

TABLE-I: A-3

PAY SCALE AT RETIREMENT (01-01-1973 TO 31-12-1985)	NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016
1500-2500	
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
1500	1,44,200
1560	1,44,200
1620	1,44,200
1680	1,44,200
1740	1,44,200
1800	1,44,200
1900	1,44,200
2000	1,44,200
2125	1,44,200
2250	1,44,200
2375	1,44,200
2500	1,44,200

ANNEXURE-C

TABLE-I: B-I

DATE OF RETIERMENT-01-01-1986 TO 31-12-1995

PAY SCALE AT RETIREMENT (01-01-1986 TO 31-12-1995)	NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016
2200-4000	
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
2200	57,700
2275	57,700
2350	57,700
2425	57,700
2500	57,700
2575	57,700
2650	57,700
2725	57,700
2800	57,700
2900	57,700
3000	57,700
3100	59,400
3200	61,200
3300	63,000
3400	63,000
3500	64,900
3600	66,800
3700	66,800
3800	68,800
3900	68,800
4000	68,800

ANNEXURE-C

TABLE-I: B-2

DATE OF RETIERMENT-01-01-1986 TO 31-12-1995

PAY SCALE AT RETIREMENT ((01-01-1986 TO 31-12-1995)) **NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**

3700-5700

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
3700	1,31,400
3825	1,31,400
3950	1,31,400
4075	1,31,400
4200	1,31,400
4325	1,31,400
4450	1,31,400
4575	1,31,400
4700	1,31,400
4825	1,31,400
4950	1,31,400
5100	1,31,400
5250	1,31,400
5400	1,31,400
5550	1,31,400
5700	1,31,400

ANNEXURE-C

TABLE-I: B-3

DATE OF RETIERMENT-01-01-1986 TO 31-12-1995

PAY SCALE AT RETIREMENT (01-01-1986 TO 31-12-1995) W.E.F.-01-03-1989 **NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**

3000-5000

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
3000	1,31,400
3100	1,31,400
3200	1,31,400
3300	1,31,400
3400	1,31,400
3500	1,31,400
3625	1,31,400
3750	1,31,400
3875	1,31,400
4000	1,31,400
4125	1,31,400
4250	1,31,400
4375	1,31,400
4500	1,31,400
4625	1,31,400

4750	1,31,400
4875	1,31,400
5000	1,31,400

ANNEXURE-C

TABLE-I: B-4

DATE OF RETIERMENT-01-01-1986 TO 31-12-1995

PAY SCALE IN LECTURER (SENIOR SCALE) AT RETIREMENT (01-01-1986 TO 31-12-1995)	**NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**
3000-5000	
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
3000	68,900
3100	68,900
3200	68,900
3300	68,900
3400	68,900
3500	68,900
3625	71,000
3750	71,000
3875	71,000
4000	71,000
4125	71,000
4250	73,100
4375	75,300
4500	75,300
4625	75,300
4750	75,300
4875	77,600
5000	79,900

ANNEXURE-C

TABLE-I: B-5

DATE OF RETIERMENT-01-01-1986 TO 31-12-1995

PAY SCALEAT RETIREMENT (01-01-1986 TO 31-12-1995)	**NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**
4500-5700	
4500-7300	
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
4500	1,44,200
4650	1,44,200
4800	1,44,200
4950	1,44,200
5100	1,44,200
5250	1,44,200
5400	1,44,200
5550	1,44,200

5700	1,44,200
5900	1,44,200
6100	1,44,200
6300	1,44,200
6500	1,44,200
6700	1,44,200
6900	1,44,200
7100	1,44,200
7300	1,44,200

ANNEXURE-C

TABLE-I: C-I

DATE OF RETIERMENT-01-01-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALEAT RETIREMENT (01-01-1996 TO 31-12-2005) ON 01-01-2016

NOTIONAL BASIC PAY

8000-13500

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
8,000	57,700
8,275	57,700
8,250	57,700
8,825	57,700
9,100	59,400
9,375	61,200
9,650	63,000
9,925	63,000
10,200	64,900
10,475	66,800
10,750	68,800
11,025	68,800
11,300	70,900
71,850	70,900
12,125	73,000
12,400	75,200
12,675	75,200
12,950	77,500
13,225	77,500
13,500	82,200
13,775	82,200
14,050	84,700
14,325	84,700

ANNEXURE-C

TABLE-I: C-2

DATE OF RETIERMENT-01-01-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALEAT RETIREMENT (01-01-1996 TO 31-12-2005) ON 01-01-2016

NOTIONAL BASIC PAY

10000-15200

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
10,000	68,900
10,325	68,900
10,650	71,000
10,975	71,000
11,300	73,100
11,625	75,300
11,950	75,300
12,275	77,600
12,600	79,900
12,925	79,900
13,250	82,300
13,575	84,800
13,900	84,800
13,225	87,300
14,550	89,900
14,875	89,900
15,200	92,900
15,525	92,500
15,850	95,400
16,175	95,400

ANNEXURE-C

TABLE-I: C-3

DATE OF RETIERMENT-01-01-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALEIN READER AT RETIREMENTON 01-01-2016 (01-01-1996 TO 31-12-2005) **NOTIONAL BASIC PAY**

12000-420-18300

BASIC PAY	NOTIONAL BASIC PAY
12,000	79,800
12,420	82,200
12,840	82,200
13,260	84,700
13,680	87,200
14,100	89,800
14,520	92,500
14,940	92,500
15,360	95,300
15,780	98,200
16,200	98,200
16,620	1,01,100
17,040	1,04,100
17,460	1,04,100
17,880	1,07,200
18,300	1,10,400
18,720	1,10,400

19,140	1,13,700
19,560	1,17,100

ANNEXURE-C

TABLE-I: C-4

DATE OF RETIERMENT-01-01-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALEIN ASSOCIATE PROFESSOR AT RETIREMENTON 01-01-2016 (01-01-1996 TO 31-12-2005) 12000-420-18300	**NOTIONAL BASIC PAY**
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
12,000	1,31,400
12,420	1,31,400
12,840	1,31,400
13,260	1,31,400
13,680	1,31,400
14,100	1,31,400
14,520	1,31,400
14,940	1,31,400
15,360	1,31,400
15,780	1,31,400
16,200	1,31,400
16,620	1,31,400
17,040	1,31,400
17,460	1,31,400
17,880	1,31,400
18,300	1,35,300
18,720	1,35,300
19,140	1,39,400
19,560	1,39,400

ANNEXURE-C

TABLE:1–C-5

DATE OF RETIERMENT-1-1-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALE AT RETIREMENT 16400-22400	**NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
16,400	1,44,200
16,850	1,44,200
17,300	1,44,200
17,750	1,44,200
18,200	1,44,200
18,650	1,44,200
19,100	1,44,200
19,550	1,44,200
20,000	1,44,200
20,450	1,44,200
20,900	1,48,500

21,400	1,48,500
21,900	1,53,000
22,400	1,53,000
22,900	1,57,700
23,400	1,57,700
23,900	1,62,300

ANNEXURE-C

TABLE:1–C-6

DATE OF RETIERMENT-1-1-1996 TO 31-12-2005

PAY SCALE IN PRINCIPAL AT RETIREMENT 16400-22400	**NOTIONAL BASIC PAY ON 01-01-2016**
BASIC PAY	**NOTIONAL BASIC PAY**
12,840	1,44,200
13,260	1,44,200
13,680	1,44,200
14,100	1,44,200
14,520	1,44,200
14,940	1,44,200
15,360	1,44,200
15,780	1,44,200
16,200	1,44,200
16,620	1,44,200
17,040	1,44,200
17,460	1,44,200
17,880	1,44,200
18,300	1,44,200
18,720	1,44,200
19,140	1,44,200
19560	1,44,200

Annexure D: Pension Fixation Formula as per Formulation 1 for the pensioners/family pensioners with date of retirement between 01.01.1973 and 31.12.2005

First it must be established whether Pay Scale, Stage etc., can be uniquely determined from the basic pay available in PPO. A list of all such cases, where Pay Scale, Stage etc., can be uniquely determined, have been provided in Annexure C Table 1. Based on the above distinction Pension/Family Pension may be fixed as per following case-

Case 1: Pension fixation, where unique determination of pay scales etc is possible from Basic Pay.

i) Let Basic Pay at the time of death/retirement be 'X_1' and pension sanctioned at the time retirement be 'Y_1'.

ii) Locate the Revised Notional Basic Pay as on 01.01.2016 corresponding to X_1 in Annexure C, Table 1 for the respective retirement period, Let it be R_1

iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_1. Take the higher of M_1 and R_1, Let it be N_1.

iv) If Notional Pay so fixed for Basic Pay as on 1.1.2016 is 'N_1, Revised Pension as on 1.1.2016 can be calculated as-

$$= (N_1 * Y_1) / X_1$$

(Additional Pension applicable as per Case)

Case 2: Pension fixation, where unique determination of pay scales etc. is NOT possible from Basic Pay.

i) Let Basic Pay at the time of death/retirement be 'X_2' and pension sanctioned at the time of retirement be 'Y_2'.

ii) After other details of Pay Scale and Stage are available, Notional Pay as on 1.1.2016 corresponding to X_2 must be located in **Annexure C Table 2** for the respective retirement period. Let it be R_2.

iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_2. Take the higher of M_2 and R_2, let it be N_2.

iv) If Notional Pay fixed as on 1.1.2016 is 'N_2', then Revised Pension as on 1.1.2016 can be calculated as-

$$= (N_2*Y_2)/X_2$$

(Additional Pension applicable as per Case)

Case 3:Family Pension fixation, where unique determination of pay scales etc is possible from Basic Pay.

i) Let Basic Pay of the employee at the time of death/retirement be 'X_3'.

ii) Locate the Revised Notional Basic Pay as on 1.1.2016 corresponding to 'X_3' in Annexure C Table 1 for the respective retirement period, let it be R_3

iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_3. Take the higher of M_3 and R_3 let it be N_3.

iv) If Notional Pay fixed on 1.1.2016 is 'N_3', Revised Family Pension as on 1.1.2016 can be calculated as-

$$= (N_3*30)/100$$

(Additional Family Pension applicable as per Case)

Case 4: Family Pension fixation, where unique determination pay scales etc is NOT possible from Basic Pay.

i) Let Basic Pay of the employee at the time of death/retirement be 'X_4'.

ii) After other details of Pay Scale and Stage are available, Notional Pay as on 1.1.2016 corresponding to X_4 must be located in Annexure C Table 2 for the respective retirement period, let it be R_4.

iii) Now let the minimum of pay level corresponding to the post from which the government servant retired be M_4. Take the higher of M_4 and R_4, let it be N_4.

iv) If notional Pay fixed as on 1.1.2016 is 'N_4', then Revised Family Pension as on 1.1.2016 can be calculated as-

$$= (N_4*30)/100$$

(Additional Family Pension applicable as per Case)

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचनाएं
5 सितम्बर 2019

सं0 कारा/स्था0(प्रो0)–01–18/19–7695––श्रीमती प्रीति राज, परीक्ष्यमान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा को उनके अभ्यावेदन में वर्णित पारिवारिक समस्याओं को दृष्टिपथ रखते हुए उन्हें दिनांक–29.08.2019 से 28.02.2020 तक कुल 06 (छः) माह का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही उन्हें बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में दिनांक 02.09.2019 से प्रारम्भ सांस्थिक प्रशिक्षण से भी मुक्त किया जाता है।

उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक,(प्र0)।

5 सितम्बर 2019

सं0 कारा/स्था0 (चि0) 01–20/2019/7729––मंडल कारा, बेगूसराय एवं मंडल कारा, बिहारषरीफ में संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सक का पद संविदा आधारित दंत चिकित्सक के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित संविदा आधारित विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–5 में अंकित कारा में पदस्थापित किया जाता हैः–

क्र0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित कारा का नाम	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	डॉ0 राहुल कुमार	बेगूसराय	मंडल कारा, बेगूसराय	मंडल कारा, किशनगंज
2	डॉ0 धनंजय कुमार सिन्हा	पटना	मंडल कारा, बिहारशरीफ	मंडल कारा, शेखपुरा

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

————————

5 सितम्बर 2019

सं0 कारा/स्था0 (चि0)01–21/2018–7728––महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 25.09.2018 को Walk-in-interview के माध्यम से राज्य की विभिन्न काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु कागजातों/प्रमाण–पत्रों की जांच की गयी। प्रमाण पत्र के जाँच के उपरांत कुल 29 सामान्य चिकित्सकों (General Physician) को विभागीय अधिसूचना संख्या–22 दिनांक–02.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न काराओं में पदस्थापित करते हुए Walk-in-interview में उपस्थित शेष योग्य चिकित्सक अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया।

2. उपरोक्त के आलोक में प्रतीक्षा सूची से कोटिवार रिक्ति एवं आवश्यक के मद्देनजर 10 सामान्य चिकित्सकों (General Physician) को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–7 में अंकित कारा में पदस्थापित किया जाता हैः–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जिला	अभ्यर्थी का स्थाई पता	आरक्षण कोटि (जिसमें चयनित हुए हैं)	पदस्थापन कारा का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डॉ० दिलीप कुमार	श्री विरेन्द्र प्रसाद	पूर्वी चम्पारण	ग्रा०–कौरेया पो०–जमुनिया थाना–भरोखर जिला–पूर्वी चम्पारण	अनारक्षित	उपकारा, बगहा
2	डॉ० सेतु चंद्रा	स्व0 रामचन्द्र प्र0 सिंह	मुजफ्फरपुर	C/O- स्व0 रामचन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–भीखनपुरा, पो0–खबड़ा, थाना–सदर, जिला–मुजफ्फरपुर	अनारक्षित	शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर
3	डॉ० रोहित कुमार	डॉ० रमेश प्रसाद सिंह	पटना	प्लाट नं0–330, जगदेव नगर नियर रिलायंस टावर, बेलीरोड, दानापुर, पटना	अनारक्षित	मंडल कारा, किशनगंज
4	डॉ० अभिषेक रंजन	श्री बैद्यनाथ प्रसाद	पूर्वी चंपारण	ग्राम–रामनगर, पो0–धनौजी, थाना–पकड़ीदयाल, जिला–पूर्वी चंपारण	अनारक्षित	उपकारा, वीरपुर
5	डॉ० मो. नौशाद आलम	स्व. मो. ईनामुल हक	समस्तीपुर	पे.–एस.ए. करीम ग्राम–मथुरापुर, थाना–वारिसनगर, जिला–समस्तीपुर–848 101	अनारक्षित	उपकारा, उदाकिशुनगंज

6	डॉ० कृष्ण दयाल झा	श्री सचिदानन्द झा	समस्तीपुर	ग्रा0–उदयपुर, पो0–अखतियारपुर, थाना– सरायरंजन, जिला– समस्तीपुर	अनारक्षित	उपकारा, रोसड़ा
7	डॉ० अभिषेक गौरव	स्व. विरेन्द्र परदेशी	पटना	ग्राम–टिकिया टोली पोस्ट–महेन्द्रू थाना– सुल्तानगंज, जिला–पटना	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, नवादा
8	डॉ० अनमोल कुमार	श्री रामकृष्ण प्रसाद	सीतामढ़ी	ग्राम+पो.–बखरी, थाना–सुरसण्ड, जिला–सीतामढी–843 331	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, मधेपुरा
9	डॉ० प्रवीण कुमार	श्री शिव शंकर यादव	सहरसा	खजुराहा पो०–हरेवा थाना–सलखुआ, जिला–सहरसा पिन–852196	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, सहरसा
10	डॉ० राजेश कुमार भारती	श्री शिवपरसन राम	कैमूर	ग्रा०–पतेसर, पो०–सौखरा, थाना–चाँद, जिला–कैमूर (भभुआ) बिहार, पिन–821106	अनुसूचित जाति	मंडल कारा, सासाराम

3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में निम्नांकित कागजात/अभिलेख के साथ योगदान देगें–(i) सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र (iii) संलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा पूर्ण रूप से भरकर (iv) समर्पित सभी कागजात/अभिलेख सही है इससे संबंधित शपथ पत्र की प्रति।

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान पदस्थापित कारा में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

6. नव पदस्थापित संविदा आधारित चिकित्सक के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित संस्थान से काराधीक्षक तीन माह के अन्दर करा लेगें। तीन माह तक प्रमाण पत्र का सत्यापन नही होने की स्थिति में प्रमाण पत्र के सत्यापन तक संबंधित चिकित्सको के मानदेय का भुगतान स्थगित रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2019

सं0 जी/रेलवे–07–05/2018–**9097**––भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11/2/2019–एम एण्ड जी दिनांक 13.08.2019 द्वारा दी गई अनापत्ति के आलोक में बिहार राज्य के गया–पटना रेल खंड पर अवस्थित 'वाणावर हॉल्ट' का नाम बदलकर 'वाणावर–कोटेश्वरनाथ धाम' किया जाता है।

तद्नुसार स्टेशन का नाम देवनागरी एवं रोमन लिपि में निम्न प्रकार होगा :–

क्र0 सं0	वर्त्तमान नाम	रोमन लिपि में नया नाम	देवनागरी लिपि में नया नाम
1	'WANAWAR HALT'	'WĀNĀWAR KOTESHWARNĀTH DHĀM'	'वाणावर–कोटेश्वरनाथ धाम'

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव।

———————

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

———————

अधिसूचनाएं
26 जुलाई 2019

सं0 1/सी01–01/2016 गृ.आ.–**6016**––कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–25013/02/2005-AIS.II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु–सह–सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम–16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–5174 दिनांक 04.07.2016 द्वारा समिति का गठन किया गया।

2. उक्त समिति के सदस्य के रूप में झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक स्तर के मनोनीत पदाधिकारी श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0 (1981) की दिनांक 31.07.2016 को वार्धक्य सेवानिवृत होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–1773 दिनांक 01.03.2017 द्वारा झारखण्ड संवर्ग के श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (1985) को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। श्री विभूति भूषण प्रधान, भा0पु0से0 (1985) की दिनांक 30.04.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत होने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकार द्वारा उनके स्थान पर श्री एम0वी0 राव, भा0पु0से0 (1987), को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

3. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या–1773 दिनांक 01.03.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का गठन निम्नरूपेण की जाती है :–

(i) मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii) पुलिस महानिदेशक, बिहार	–	सदस्य
(iii) श्री एम0वी0 राव, भा0पु0से0 (झारखण्ड–1987) सम्प्रति महानिदेशक–सह–समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, रॉची	–	सदस्य (बिहार संवर्ग के बाहर के पुलिस महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी के रूप में, जिनका झारखण्ड, गृह राज्य बिहार नहीं है)
(iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच0–89) सम्प्रति प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	–	सदस्य (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव स्तर के अनु0 जाति/अनु0जनजाति पदाधिकारी के रूप में)
(v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य–सचिव

4. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी ।

5. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

———————

28 अगस्त 2019

सं0 1/एल1–10–05/2011–गृ0आ0–7086––श्री विकास वैभव, भा0पु0से0 (2003), पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 24.08.2019 एवं 25.08.2019 को क्रमशः शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.08.2019 से दिनांक 05.09.2019 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री वैभव के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद पर श्री मनु महाराज, भा0पु0से0 (2005), पुलिस उप–महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

————————

28 अगस्त 2019

सं0 1/एल1–10–10/2014–गृ0आ0–7080––श्री सुनील कुमार, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु दिनांक 19.08.2019 से 29.08.2019 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद पर श्री रमन कुमार चौधरी, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 948---I, ANKIT S/o Shri Sudhir Prasad, R.M.S. Colony Main Road, Kankarbagh, Patna-20 declare vide Affidavit No. 10318 dated 18.06.2019 that now onwards shall be known as Ankit Sinha.

ANKIT.

सं0 949--मैं शम्भु शर्मा, पिता-योगेन्द्र शर्मा, उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम+पो०-रामपुर जलालपुर, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर यह कि मेरा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट में मेरा नाम शम्भु शर्मा लिखा हुआ है जो कि सत्य है, यह कि मेरा नाम वर्ग स्नातक में टंकीय भुलवश शम्भु कुमार शर्मा दर्ज हो गया है जो गलत है तथा मेरा नाम शम्भु शर्मा सही नाम है तथा शम्भु शर्मा के नाम से जाना जाय, यह कि मेरा सही नाम शम्भु शर्मा है और शम्भु शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ, शपथ पत्र संख्या-2921, दिनांक 25.07.2019

शम्भु शर्मा।

सं0 950--मैं अभिराज, पिता–सुनील कुमार कर्ण, निवासी–92/ए0, सी0डी0ए0 कॉलोनी, उत्तरी शास्त्री नगर, पटना–800023 यह घोषणा करता हूँ कि अभिराज अब सभी उद्देश्यों से अभिराज कर्ण के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा। (शपथ पत्र सं0 10080, दिनांक 16.07.2019)

अभिराज।

No. 950—I Abhiraj S/o Sunil Kumar Karn, Residence-92/A, CDA Colony North L.B.S. Nagar, Patna-800023 declare that I have changed my name from Abhiraj to Abhiraj Karn for all future purposes. (Affidavit No. 10080 dated 16.07.2019)

Abhiraj.

No. 951—I, Rambali Sharma, S/o Sukhadhari Mistri, R/o Patiyama, P.S.-Shakurabad, Dist.-Jehanabad, Bihar, Pin-804424 declare that my name is Rambali Mistri my surname has to be changed from "Mistri" to "Sharma" henceforth I will be known as Rambali Sharma hence this affidavit., Affidavit no. 126, Date 07.06.2019.

Rambali Sharma.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 08/आरोप–01–03/2016,सा०प्र०—10805
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
6 अगस्त 2019

श्री सुभाष नारायण, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक–1145/11) के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी–सह विशेष कार्य पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, फारबिसगंज के पदस्थापन काल में बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम–2006 की धारा–4 के प्रतिकूल कार्य करने, विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन में स्पष्ट निदेश नहीं रहने पर भी भूमि को लीज पर स्वीकृति दिये जाने, बिना सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये एक व्यक्ति को भूमि लीज पर आवंटित किये जाने तथा फर्जी पत्र के आधार पर कार्रवाई करने संबंधी आरोपों के लिए कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1944 दिनांक 18.04.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप–पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–9441 दिनांक 05.07.2016 द्वारा श्री नारायण से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री नारायण से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 15.01.2017) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–2072 दिनांक 21.02.2017 द्वारा कृषि विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1769 दिनांक 03.06.2019 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री नारायण के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

श्री नारायण के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप–पत्र उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कृषि विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत चूँकि श्री नारायण के स्पष्टीकरण कृषि विभाग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, अतः आरोप की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री नारायण, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1145/11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 (2) के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें।

श्री नारायण से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in